

डायरी संख्या 4660 / कंक०सि०वि०

उत्तर प्रदेश शासन

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1

संख्या- 64/2018/3882/सत्ताईस-1-2018-3(1)/18

लखनऊ: दिनांक: 12 सितम्बर, 2018

कार्यालय-आदेश


एतदद्वारा जनहित/कार्यहित में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग (सिविल संवर्ग) के श्री अखिलेश कुमार सिंह, अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड-1, बांसी, सिद्धार्थ नगर को तात्कालिक प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सरयू परियोजना द्वितीय, गोण्डा से सम्बद्ध किया जाता है।


टी0 वेंकटेश
प्रमुख सचिव।


संख्या: 64/2018/3882 (1)/सत्ताईस-1-2018- तद्विनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ ।
2. प्रमुख अभियन्ता (परि० एवं नियो०)/प्रमुख अभियन्ता, परियोजना, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ ।
3. मुख्य अभियन्ता, कार्मिक(अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ
4. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता को द्वारा मुख्य अभियन्ता, कार्मिक(अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ ।
6. सम्बन्धित कोषाधिकारी, द्वारा मुख्य अभियन्ता, कार्मिक(अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ।
7. सम्बन्धित अभियन्ता को द्वारा मुख्य अभियन्ता, कार्मिक(अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ।
8. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के समस्त अनुभाग।
9. गार्ड फाइल।


(सुधीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।


मुख्य अभियन्ता (कार्मिक अधिष्ठान-1/3)
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग उ०प्र०
लखनऊ


19/18